

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

आयालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

स्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या : 43/2026

अप्रार्थी  
भैराराम वगैरा

प्रार्थी  
नेमाराम वगैरा  
किस्म मुकदमा-

बनाम  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी  
हुक्म या कार्यवाही मय इनायल्स जज

नम्बर व  
तारीख  
अहकाम जो  
इस हुक्म की  
तामील में  
जारी हुए

तारीख हुक्म

10-3-26

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। हमने प्रार्थी अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र सुना। प्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि मूल वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया है। इसलिए मूल वाद को पुनः बरामद किया जाने का आदेश फरमावे। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा राजस्व मूल वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 13.08.2025 को पुनः बरामद किया जाता है। पत्रावली फैशल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
लूणी